भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1816

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड कोयला उत्पादन

1816. श्री अनन्त नायक:
श्री गोडम नागेशः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री प्रवीण पटेलः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री प्रदीप पुरोहितः
श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्री रमेश अवस्थीः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री काली चरण सिंहः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री राधेश्याम राठियाः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में दर्ज किए गए अब तक के सर्वाधिक कोयला उत्पादन एवं प्रेषण सहित घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के संबंध में विशेषकर मध्य प्रदेश के शहडोल तथा ओडिशा के क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में संचालित कोयला क्षेत्रों के संदर्भ में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा एवं मध्य प्रदेश, विशेषकर शहडोल, अनूपपुर तथा उमरिया जिलों के खनन क्षेत्रों में परिचालन दक्षता में सुधार, कोयला निकासी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा विद्युत क्षेत्र एवं अन्य प्रमुख उद्योगों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोयला खनन, निकासी और संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति सहित घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा लॉजिस्टिक्स में सुधार के माध्यम से आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं; और

(घ) ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा ओडिशा में, विशेषकर क्योंझर संसदीय क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन एवं अवसंरचना विकास में इन पहलों के अपेक्षित योगदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष (जून, 2026 तक) के दौरान देश में और ओडिशा राज्य तथा मध्य प्रदेश राज्य में घरेलू कोयला उत्पादन एवं प्रेषण निम्नानुसार है -

[आंकड़े मिलियन टन (मि.ट.) में]

वर्ष	देश		ओडिशा राज्य		मध्य प्रदेश राज्य	
	उत्पादन	प्रेषण	उत्पादन	प्रेषण	उत्पादन	प्रेषण
2025-26 (अनंतिम)	1040.08	1018.29	264.25	256.83	173.82	140.52
2026-27 [जून, 2026 तक] (अनंतिम)	232.49	268.04	53.61	66.53	40.41	33.92

इसके अलावा, दिनांक 30.06.2026 तक, कुल 212 कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 19 कोयला ब्लॉक शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं। क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : कोयला संभार-तंत्र श्रृंखला संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और स्टेकहोल्डरों के समन्वय से कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एकीकृत कोयला संभार-तंत्र योजना के माध्यम से देश में कोयला निकासी अवसंरचना कोयला उत्पादन में अनुमानित वृद्धि के अनुरूप बढ़ाई जा रही है। कोयला लॉजिस्टिक्स योजना में 33 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का विकास, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) अवसंरचना का विस्तार,

रेल मंत्रालय के परामर्श से रेल निकासी क्षमता में वृद्धि और रेल, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने के लिए वित्त वर्ष 2029-30 तक 1319 मि.ट. क्षमता वाली 139 एफएमसी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा, कोयला पीएसयू कोयला धारी राज्यों में कोयला निकासी को सुगम बनाने और देश में विद्युत क्षेत्र तथा अन्य प्रमुख उद्योगों को समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहे हैं।

देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)।

v. राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण अथवा द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) दिए गए हैं।

vi. कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि को कम करने, मासिक भुगतान के सापेक्ष अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन एवं शर्तें बहुत

उदार हैं।

vii. खानों के तेजी से प्रचालन के लिए, कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन करार (सीबीडीपीए) में निर्धारित समय-सीमा को पूरी तरह से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिए मौजूदा 51 महीने से घटाकर 40 महीने कर दिया गया है। इसके अलावा, आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों के लिए, 66 महीने से 52 महीने तक इसी तरह की गिरावट का संशोधन किया गया है।

viii. सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उच्च घरेलू कोयला उत्पादन को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित विनियामक सुधार और नीतिगत पहलें भी की हैं -

- प्रत्यायित पूर्वेक्षण एजेंसियों, खान और सीम खोलने की अनुमतियों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, और सरकार द्वारा भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) का अनुमोदन किया गया है;
- कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण खनिज घोषित किया गया; तथा
- भूमिगत कोयला खनन के लिए प्रोत्साहनों की शुरूआत।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. सीआईएल अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, कंटीन्यूअस माइनर्स (सीएम) लांगवॉल (एलडब्ल्यू) तथा हाईवॉल (एचडब्ल्यू) की संस्थापना के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) जैसी नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपना रही है। अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, सीआईएल के पास अपने उच्च-क्षमता वाले एक्सकेवेटरों और डंपरों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पहले से ही मौजूद है। ओपनकास्ट खानों में हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का मानकीकरण किया गया है। दक्षतापूर्ण और पर्यावरण-अनुकूल खनन के लिए ओपनकास्ट खानों में सर्फेस माइनर्स की संस्थापना भी की गई है।

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

देश में कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं:

i. वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) को उन मामलों में नियामक आवश्यकता के 100%

तक बढ़ाया गया है, जहां एसीक्यू को या तो नियामक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयंत्र) के 90% तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को नियामक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक कम कर दिया गया था। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति होगी जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

ii. वर्ष 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के तहत एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोयला लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस लिंकेज नीलामी में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए कोकिंग कोयला लिंकेज की अवधि में वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत क्रय करार (पीपीए) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रिगर स्तर और वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) स्तरों पर विचार किए बिना कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के इस निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।

iv. एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयले का उपयोग करके इस्पात' सृजित किया गया है, जिससे घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी और देश में वॉश्ड कोकिंग कोयले की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे कोकिंग कोयले के आयात में कमी आएगी।

v. कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया है। कोकिंग कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहलें की गई हैं।

vi. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इस नीति के अंतर्गत आईसीबी संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता से आयातित कोयले पर इन आईसीबी संयंत्रों की निर्भरता कम होगी।

vii. मौजूदा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले की 100% खरीद के बाद संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। मौजूदा एफएसए धारकों को एसीक्यू से अधिक कोयले की उपलब्धता से विद्युत संयंत्रों की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादकों को लाभ होगा।

viii. गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी के तहत हाल ही में सृजित की गई कोलसेतु विंडो के तहत कोयला लिंकेज से देश में धुले हुए कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी और परिणामस्वरूप कोयले के आयात में कमी आएगी।

(घ) : अवसंरचना विकास के लिए की गई पहलों से यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग में वृद्धि होगी, लदान के समय में कमी आएगी, निकासी दक्षता में सुधार होगा और देश में सभी उपभोक्ता क्षेत्रों को समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि और कोयले के आयात में कमी के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में योगदान मिलेगा। इन पहलों से देश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सृजित होंगे।
